भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

SPEED POST

No. A/2-1/2007-WII (Vol.X:2016-17/ Part-IV)

दिनांक 22.02.2017

सेवा में,

श्री राजीव कुमार खरे,
एडवोकेट,
गली न0 3, प्रेमबिहार कॉलोनी,
प्रेमनगर सतना, मध्य प्रदेश
सतना – (म0प्र0)

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में –

संदर्भः आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 19.01.2017 जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भेजा गया, इस संस्थान को 25.01.2017 को प्राप्त हुआ –

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त आवेदन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा बिन्दू संख्या 4 में चाही-गई सूचनाओं का उत्तर संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है जो कि इस पत्र के साथ एक पृष्ठ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में संलग्न है ।

अगर आप उक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अधोलिखित अपीलीय प्राधिकारी को एक माह के भीतर अपील कर सकते हैं:– डॉ0 वि0बि0 माथुर, निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून – 248001, दूरभाष न0 0135–2640910.

धन्यवाद,

भवदीय

(डा0 अंजु बारोठ)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक – एक पृष्ठ

प्रतिलिपि – डा0 वैभव चन्द माथुर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, सी0 जी0 ओ0 काम्पलैक्स, नई दिल्ली 110 003 – सूचनार्थ हेतू

पत्रपेटी सं. 18, चन्द्रबनी, देहरादून-248 001, (उत्तराखण्ड), भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun-248 001, (Uttarakhand), INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स. : +91-135-2640111 से 2640115, एव 2644462 से 2644464, फैक्स: 0135-2640117, तार: WILDLIFE
EPABX : +91-135-2640111 to 2640115 & 2644462 to 2644464 Fax : 0135-2640117, GRAM : WILDLIFE
ई–मेल/E-mail : wii@wii.gov.in

(141)

आर0 टी0 आई का प्रत्युत्तर

श्री राजीव कुमार खरे, प्रेमनगर, सतना, मध्यप्रदेश से प्राप्त आर0ओ0आई0 आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अग्रसारित की गई है, जिसमे (क) प्रशिक्षत व्यक्तियों की संख्या (ख) पन्ना टाईगर रिजर्व में टाईगर पुनर्स्थापन प्रोजक्ट में प्रयुक्त उपकरणों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई हैं।

उक्त सन्दर्भ में सूचीबद्व प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार भेजी जाती हैं:-

(क) पन्ना टाईगर रिजर्व में बाघ परियोजना का आरम्भ तीन बाघों (एक नर एवं दो मादा) के स्थानान्तरण के साथ मार्च 2009 में हुआ, तथा उसके बाद चार और बाघों (तीन मादा तथा एक नर) को यहा स्थानातरित किया गया। शिफ्ट ड्यूटी के आधार पर तीन चार कर्मचारियों/सहायकों की टीम बनाकर प्रत्येक टाइगर पर नजर रखी गई। इन व्यक्तियों को बाघों पर 24 घंटे सात दिन (नजर रखने के लिये) अनुश्रवण हेतु रेडियों ट्रैकिंग के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया तथा इससे इन वन्यजीवों की पूर्ण सुरक्षा संम्भव हो सकी। इस प्रकार रेडियों ट्रैकिंग एवं अनुश्रवण के लिये प्रशिक्षत व्यक्तियों की इस परियोजना में कुल संख्या 80 थी और 20 व्यक्तियों को हैडलिग और स्थानातरण प्रकियाओं में प्रशिक्षत किया गया। बाघ स्थानान्तरण प्रकियाओं में एक पशु चिकित्सक सहित पूरे समूह एवं सहायक स्टाफ को बाघों की चिकित्सकीय देखभाल एवं रसायनिक गतिहीनता का प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) टाइगर पुनर्स्थापन परियोजना में, अनुश्रवण सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों के लिये टेलोनिक्स वी एच एफ/जी पी एस सैटेलाईट रेडियों कालर्स, वैक्टोनिक्स वी एच एफ/जी पी एस सैटलाइट कालर्स, रीसीवर्स, एंटीना, कैमरा ट्रैप्स (स्पाई प्वाइन्ट कडबैक एवं रैकोनिक्स) कम्पास, दूरबीन, लेसर रेंज फाइन्डर तथा जी पी एस का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त बाघों की रासायनिक गतिहीनता के लिये लोकल टीम द्वारा ड्रेंक्वीलाईजर गन का भी प्रयोग किया गया ।

(डा0 जी0 एस0 रावत)
संकायध्यक्ष

ATTESTED
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun 22/04/17

140

Response to RTI

Reference to the RTI application by Shri. Rajiv Kumar Khare, Premnagar, Satna, Madhya Pradesh transferred/forwarded by MoEFCC, NTCA, New Delhi, seeking information on (a) Number of people trained and (b) Equipment used in Tiger Reintroduction Project in Panna Tiger Reserve, the following information are furnished as per the listed questions:

a) The tiger reintroduction project in Panna Tiger Reserve was launched in March 2009, with translocation of three tigers (one male and two females) and thereafter, four more animals (three females and one male) were translocated. Each tiger was monitored by a team of 3-4 staff/assistants and were put on duty on shifts. These people were trained on radio-tracking methods for monitoring the tigers 24X7 basis and this enabled complete protection of these animals. Accordingly, the total number of people trained on radio tracking and monitoring for this project were 80 people, and about 20 people were trained on handling and translocation procedure. One veterinary team including a veterinarian and support staff was also been trained on chemical immobilization of tiger and veterinary care in tiger translocation project.

b) For the tiger reintroduction project, Telonics VHF/GPS/Satellite Radio Collars, Vectronics VHF/GPS/Satellite Collars, Receivers, Antenna, Camera Traps (SpyPoint, Cuddeback and Reconyx), Compass, Binoculars, Laser Range Finder, and GPS were used for monitoring and associated research activities. Additionally, the local team used Tranquilizer Gun for chemically immobilizing the tigers.

7/2/17

(Dr. K. Ramesh)
Scientist-E

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun 22/02/17